राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 225

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, बुधवार, 22 जनवरी 2020

www.jagran.com

पृष्ठ 16

चोट के चलते धवन टी-20 और वनडे टीम से बाहर

>> 14

उत्सव गणतंत्र का...

तंत्र के गण

शिक्षा से समाधान- विद्याज्ञान

उत्तर प्रदेश में वंचित परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया करा फ्यूचर लीडर के रूप में तैयार करने का अहम काम शिव नादर की विद्याज्ञान लीडरशिप एकेडमी सफलतापूर्वक कर रही है। इसके तहत दो बोर्डिंग स्कूल उप्र में स्थापित किए गए हैं, एक बुलंदशहर और दूसरा सीतापुर में। पेज-11

चाहे जितना विरोध हो, वापस नहीं होगा नागरिकता संशोधन कानून

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) वापस नहीं होगा। लखनऊ में सीएए के समर्थन में आयोजित भाजपा की रैली में माइक संभालते ही शाह ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। सीएए का विरोध कर रहे राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और मायावती को वोट बैंक का लोभी, अंधा और बहरा बताते हुए अमित शाह ने कहा कि उन्हें करोड़ों शरणार्थियों पर हुए अत्याचार नहीं दिखते। उन्होंने कहा कि सिर्फ सीएए ही नहीं, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, अनुच्छेद-370 या तीन तलाक का खात्मा या राम मंदिर का निर्माण, देशहित से जुड़े ऐसे सभी मुद्दों का इन विपक्षी नेताओं ने विरोध किया। इन मुद्दों पर वे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान की भाषा बोलते रहे हैं। यह लड़ाई देश का भला और देश के टुकड़े करने वालों के बीच है। डंके की चोट पर कहा कि चाहे जितना विरोध हो, सीएए वापस नहीं होने वाला। मंच पर चढ़ने से पहले अमित शाह ने रैली स्थल पर लखनऊ और लखीमपुर खीरी से आये शरणार्थियों से भी मुलाकात कर उनकी आपबीती सुनी। शरणार्थियों ने सीएए के लिए मोदी सरकार के प्रति आभार जताया।

विपक्षी दल कर रहे दुष्प्रचार : शाह ने कहा, 'संसद के शीतकालीन सत्र में पीएम नरेंद्र मोदी नागरिकता अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक लेकर आये तो राहुल बाबा एंड कंपनी, ममता दीदी, अखिलेश यादव और मायावती इसके खिलाफ कांव-कांव करने लगे। नकारे जा चुके विपक्षी दल दुष्प्रचार कर रहे हैं कि सीएए से देश के मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। इसकी आड़ में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सपा देश में आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा फैला रहे हैं। सीएए का विरोध करने वाले इन सभी नेताओं को उन्होंने ललकारा कि यदि इस कानून की कोई भी धारा किसी की नागरिकता ले सकती है तो वह मुझे दिखाइये। उन्हें चुनौती दी कि यदि उनमें हिम्मत है तो इस कानून पर बहस करने के लिए सार्वजनिक मंच ढूंढ़ें। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं।

शाह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को जमकर आड़े हाथ लिया। रैली के मंच से सीएए को लेकर उनके ज्ञान पर चुटकी ली। बोले, 'अखिलेश बाबू, आप ज्यादा न बोलो तो अच्छा है। किसी के रटे-रटाये दो वाक्य बोल देते हो। मंच पर सीएए पर पांच मिनट भी बोल सको तो जानें। थोड़ी पढ़ाई-लिखाई भी किया करो। राजनीति में पढ़ना लिखना अच्छा होता है।' तल्ख लहजे में उन्हें चेताया भी, 'अखिलेश बाबू, हमें जितना चाहे गाली दो, हमारी पार्टी को गाली दो, लेकिन भारत मां के खिलाफ नारे लगे तो जेल में डाल दिए जाओगे।'

- लखनऊ में सीएए के समर्थन में आयोजित रैली में केंद्रीय गृह मंत्री ने फिर दोहराया
- 'अंधे-बहरों' को नहीं दिखता करोड़ों शरणार्थियों पर अत्याचार : अमित शाह
- अखिलेश बाबू, हमें गाली दे लो, लेकिन भारत मां के खिलाफ नारे पर जाओगे जेल

लखनऊ के श्रीराम कथा पार्क में मंगलवार को नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आयोजित भाजपा की रैली को संबोधित करते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जागरण

कांग्रेस ही विभाजन की जिम्मेदार पेज>>5

सीएए के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : सीएए की संवैधानिक वैधता परखने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और संजीव खन्ना की पीठ ने केंद्र को विभिन्न याचिकाओं पर नोटिस जारी किया था। पीठ संभवत: 143 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इनमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आइयूएमएल) और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की याचिकाएं भी शामिल हैं। मुस्लिम लीग ने अपनी याचिका में कहा है कि सीएए समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। यह अवैध प्रवासियों के एक वर्ग को नागरिकता देता है, जबकि धर्म के नाम पर कुछ लोगों को नागरिकता देने से वंचित करता है। इसने सीएए पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 दिसंबर को नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 को मंजूरी दी थी, जिससे यह कानून बन गया था।

जागरण विशेष

दक्षिण कश्मीर की सुध लेने खुद पहुंचेंगे अमित शाह!

श्रीनगर : केंद्र के 'आउटरीच कार्यक्रम' में केंद्रीय मंत्री जम्मू-कश्मीर के दूरदराज क्षेत्रों तक पहुंचेंगे। वहीं, आतंक के गढ़ रहे दक्षिण कश्मीर की बारी कार्यक्रम के दूसरे चरण में आएगी। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज मंत्री पहुंचेंगे। (पेज-6)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

पड़ोसी देशों की परियोजनाओं में नहीं होगा विलंब

नई दिल्ली : पड़ोसी देशों की एक पुरानी शिकायत थी कि भारत उन्हें मदद देने का वादा तो करता है, लेकिन इसमें काफी विलंब करता है। भारत अब पड़ोसी देशों को इस तरह की शिकायत का मौका नहीं देगा। मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने दोनों देशों की सीमा जोगबनी-बिराटनगर पर आइसीपी का उद्घाटन वीडियो कांफ्रेंसिंग से किया।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

पुलवामा मुठभेड़ में दो सुरक्षाकर्मी शहीद, दो घायल

श्रीनगर : दक्षिण कश्मीर के खियू (पुलवामा) में मंगलवार को आतंकियों के साथ एक भीषण मुठभेड़ में एक सैन्यकर्मी और एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर समेत दो सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। इसके अलावा दो जवान घायल भी हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान घेराबंदी तोड़ भाग निकले आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षाबलों ने व्यापक अभियान छेड़ दिया है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

नेपाल में गैस लीक से आठ भारतीय पर्यटकों की मौत

काठमांडू : नेपाल घूमने गए केरल के 15 पर्यटकों में से आठ मंगलवार सुबह एक होटल में बेहोश मिले। उन्हें एयरलिफ्ट कर राजधानी काठमांडू स्थित एचएएमएस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रूम हीटर से गैस लीक होने को हादसे की प्रमुख वजह माना जा रहा है। मृतकों में चार बच्चे हैं।

हवाला और आतंकी फंडिंग से जुड़े रेलवे ई-टिकटिंग रैकेट के तार

राजफाश ▶ आरपीएफ ने 27 लोगों को गिरफ्तार किया, आइबी व एनआइए ने भी जांच शुरू की

अपराध नियंत्रण कानून के तहत दर्ज किया जा रहा केस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने रेलवे में ई-टिकटों की गैरकानूनी बिक्री के ऐसे अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जिसके तार दुबई, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिंगापुर और यूगोस्लाविया में हवाला, मनी लांड्रिंग और आतंकी फंडिंग से जुड़े हैं। इस सिलसिले में एजेंसियों ने ई-टिकट बुकिंग सॉफ्टवेयर बेचने वाले गुलाम मुस्तफा समेत 27 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आंतरिक सुरक्षा को खतरे के कोण से पूरे मामले की जांच हो रही है। आइबी और एनआइए ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। गिरफ्तार लोगों पर संगठित अपराध नियंत्रण कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

आरपीएफ के महानिदेशक (डीजी) अरुण कुमार ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि भुवनेश्वर से गिफ्तार गुलाम मुस्तफा ने अपने धंधे की शुरुआत 2015 में आइआरसीटीसी एजेंट के रूप में की थी। बाद में भारत से दुबई गए हामिद अशरफ के संपर्क में आकर उसने ई-टिकटों की गैरकानूनी बिक्री का काम शुरू कर दिया।

कुमार ने बताया कि आरपीएफ द्वारा बेंगलुरु में डाले गए कई छापों में बार-बार गुलाम मुस्तफा का नाम सामने आ रहा था। इसलिए ट्रैकिंग कर उसे गिरफ्तार किया गया। पिछले 10 दिनों से कर्नाटक पुलिस, आइबी, स्पेशल ब्यूरो, ईडी और एनआइए उससे पूछताछ कर रही है। नेटवर्क से जुड़े 20 हजार रेलवे एजेंटों को अभी नहीं छुआ गया है। मुस्तफा के पास से आइआरसीटीसी की 563 आइडी मिली है। एसबीआइ की 2,400 शाखाओं और 600 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में इनके खाते होने का शक है। सिंगापुर स्थित एक भारतीय कंपनी के खाते में भी इसके पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। इस कंपनी की गतिविधियों की पहले से जांच हो रही है।

नई दिल्ली में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रेलवे में ई टिकटिंग रैकेट की जानकारी देते आरपीएफ के डीजी अरुण कुमार। एएनआइ

हर माह 15-16 करोड़ की कमाई

- गिरोह का सरगना हामिद अशरफ पिछले साल गोंडा के स्कूल में हुए बम विस्फोट में भी शामिल था।
- इस नेटवर्क के मार्फत वो हर महीने 15-16 करोड़ रुपये की गैर-कानूनी कमाई कर रहा है।
- इसके अलावा 'गुरुजी' के कोड नाम से चर्चित एक अन्य व्यक्ति इस पूरे नेटवर्क का टेक्निकल प्रमुख है।
- वह आइआरसीटीसी, क्रिस और आरपीएफ के सुरक्षात्मक तौरतरीकों का पता लगाकर टिकट बुक कराने के नए तरीके ईजाद करता रहता है।
- इस समूह ने आपस में संपर्क करने के लिए बाकायदा यूट्यूब और वाट्सएप पर चैनल बना रखा है।

एक मिनट में तीन टिकटों की बुकिंग

- आइआरसीटीसी की वेबसाइट हैक करने के लिए ये लोग एएनएमएस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं।
- आइआरसीटीसी की ई-टिकटिंग वेबसाइट पर आम लोग ढाई मिनट में एक टिकट बुक कर पाते हैं।
- वहीं इस सॉफ्टवेयर के जरिये एक मिनट में तीन टिकट बुक हो जाते हैं। इस तरह 85 फीसद कन्फर्म टिकट इस गिरोह की गिरफ्त में चले जाते हैं।
- रेलवे अधिकारियों के अनुसार गैरकानूनी बिक्री के बावजूद इन टिकटों से रेलवे को पूरा पैसा मिल जाता है।
- परंतु यह गिरोह कन्फर्म टिकट दिलाने के नाम पर ग्राहकों से अतिरिक्त पैसे उगाह लेता है।

हामिद अशरफ दुबई से चला रहा रैकेट पेज>>6

झारखंड में पत्थलगड़ी का विरोध करने पर सात ग्रामीणों की हत्या

जागरण संवाददाता, पश्चिमी सिंहभूम

- प. सिंहभूम में वारदात को अंजाम देकर शवों को जंगल में फेंका
- गांव के दो और लोग गायब, हत्या की आशंका, पुलिस कर रही तफ्तीश

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में पत्थलगड़ी समर्थकों ने पत्थलगड़ी का विरोध करने वाले सात ग्रामीणों की हत्या कर दी है। मृतकों में ग्राम पंचायत का उपमुखिया भी शामिल हैं। हत्यारों ने घटना को अंजाम देने के बाद शवों को पास के जंगल में फेंक दिया था। गांव के दो अन्य लोग भी गायब हैं, जिनकी भी हत्या की आशंका है। मंगलवार दोपहर घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। यह घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है।

पुलिस के मुताबिक पत्थलगड़ी समर्थकों द्वारा रविवार को ग्रामीणों के साथ बैठक आयोजित की गई थी। इस दौरान पत्थलगड़ी समर्थकों का हुजूम पत्थलगड़ी का विरोध करनेवाले उपमुखिया जेम्स बूढ़ और अन्य छह लोगों को पीटने लगे। इससे डरकर उनके परिजन वहां से भाग गए। इसके बाद पत्थलगड़ी समर्थक सभी को उठाकर जंगल की ओर ले गए। रविवार को उनके घर वापस नहीं लौटने पर सोमवार को उपमुखिया जेम्स बूढ़ और अन्य छह लोगों के परिजन गुदड़ी थाना पहुंचे। पुलिस मामले की छानबीन में लगी ही थी कि मंगलवार दोपहर को संबंधित लोगों की हत्या कर उनका शव जंगल में फेंक दिए जाने की सूचना मिली।

पत्थलगड़ी समर्थकों से हटाए जा रहे हैं मुकदमे : हेमंत सोरेन ने 29 दिसंबर को राज्य के मुख्यमंत्री बनते ही फैसला लिया था कि पत्थलगड़ी समर्थकों पर लगे देशद्रोह के मुकदमे खत्म किए जाएंगे। फैसले के बाद ऐसे लोगों से मुकदमा वापस लिए जाने की कवायद शुरू हो चुकी है।

यह है पत्थलगड़ी : आदिवासी इलाकों में पत्थलगड़ी की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा है। इसमें गांव के श्मशान से लेकर गांव की सीमा तक पत्थर गाड़कर संदेश लिख दिया जाता है। गांव और जमीन की सीमा इंगित करने, किसी व्यक्ति की स्मृति में, महत्वपूर्ण अवसरों को याद रखने तथा समाज के महत्वपूर्ण फैसले को लोगों तक पहुंचाने के लिए धरती में पत्थर गाड़ते हैं। इसका पारंपरिक महत्व किसी सरकारी दस्तावेज या सीमांकन से ज्यादा है। इसे ही पत्थलगड़ी कहा जाता है।

इसलिए है विवाद : पत्थलगड़ी अब क्षेत्रों में सरकार को नकारने तथा स्वतंत्र व्यवस्था स्थापित करने के आंदोलन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। इस पर लिखा होता है कि गैर आदिवासी को बिना अनुमति गांव में प्रवेश नहीं करना है। यहां तक कि वे किसी भी सरकारी योजना का विरोध करते हैं।

खूंटी में तेजी से पैर पसार रही खतरनाक विचारधारा पेज>>7

कोरोना वायरस के कारण चीन से आने वाले यात्रियों की होगी थर्मल स्क्रीनिंग

- दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत सात हवाई अड्डों पर की गई व्यवस्था

नई दिल्ली, प्रेट्र : कोरोना वायरस को लेकर जारी चिंता के बीच भारत समेत दुनियाभर के हवाईअड्डों पर चीन से आने वाले यात्रियों की जांच के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। भारत में भी सात हवाईअड्डों पर थर्मल स्क्रीनिंग से जांच की व्यवस्था की गई है।

मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, हांगकांग समेत चीन के किसी भी हवाई अड्डे से देश में आने वाली उड़ानों के अंदर यह घोषणा करने को कहा गया है कि बुखार या सर्दी के लक्षण से ग्रस्त कोई यात्री अथवा ऐसा कोई यात्री जो बीते 14 दिनों के अंदर वुहान की यात्रा पर गया हो, वह भारतीय हवाई अड्डों पर पहुंचने के फौरन बाद इस बाबत वहां मौजूद अधिकारियों को जानकारी दे जिससे उसकी जांच की जा सके। यह चीन के हुबेई प्रांत के वुहान में नए कोरोना वायरस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी यात्रा परामर्श के साथ ही है, जिसमें नागरिकों से कहा गया था कि वे उस देश की यात्रा के दौरान कुछ एहतियाती उपाय अपनाएं। यात्रियों की जांच की सुविधा दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के अलावा चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोचीन में भी उपलब्ध होगी।

दरअसल, कोरोना वायरस (सीओवी) विषाणुओं के बृहत परिवार का सदस्य है जिसकी वजह से सामान्य सर्दी से लेकर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जैसी बीमारियां हो रही हैं। यह वायरस अब तक चीन में छह लोगों की जान ले चुका है।

अब तक 300 से ज्यादा लोग हो चुके हैं संक्रमित पेज>>13

एक और बड़े बैंकिंग घोटाले का पर्दाफाश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- सीबीआइ ने दर्ज की एफआइआर, उदय देसाई समेत कंपनी के 10 निदेशकों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर
- फ्रॉस्ट इंटरनेशनल पर 3592 करोड़ के घोटाले का आरोप

नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के बाद एक और बड़ा बैंक घोटाला सामने आया है। बैंक ऑफ इंडिया के कानपुर जोन से शिकायत मिलने के बाद सीबीआइ ने एफआइआर दर्ज करते हुए दिल्ली, मुंबई और कानपुर में कुल 13 स्थानों पर छापा मारा। आरोप है कि फ्रॉस्ट इंटरनेशनल नाम की मुंबई स्थित कंपनी ने बैंकों के कंसोर्टियम को कुल 3592 करोड़ रुपये का चूना लगा दिया। फ्रॉस्ट इंटरनेशनल ने बैंक से मिली कर्ज की सुविधा का लाभ उठाते हुए धन को अपनी ही दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर कर लिया। कर्ज की अदायगी नहीं होने के कारण 2019 में यह एनपीए (नॉन परफार्मिंग एसेट) में तब्दील हो गया।

सीबीआइ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्हें शनिवार को बैंक ऑफ इंडिया, कानपुर के जोनल मैनेजर की ओर से इस घोटाले की जानकारी मिली और कार्रवाई की मांग की गई। इसके बाद रविवार को आरोपितों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर मंगलवार को आरोपितों के सभी ठिकानों की तलाशी ली गई। सीबीआइ ने छापे में घोटाले से संबंधित अहम दस्तावेज बरामद होने का दावा किया है।

सीबीआइ अधिकारी के अनुसार बैंक के अनुरोध पर उदय देसाई समेत कंपनी के 10 निदेशकों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है, ताकि वे विदेश फरार नहीं हो सकें। सीबीआइ ने फ्रॉस्ट इंटरनेशनल और उसके निदेशकों के साथ-साथ 11 अन्य कंपनियों को भी आरोपित बनाया है, जो इस फर्जीवाड़े में शामिल थे। इनमें कानपुर की तीन कंपनियां आरके बिल्डर्स, ग्लोबिज एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड और निर्माण प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल हैं।

सीबीआइ की एफआइआर के अनुसार 1995 में बनी फ्रॉस्ट इंटरनेशनल को 1996 से ही बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज की सुविधा हासिल थी, जो धीरे-धीरे बढ़कर 380 करोड़ रुपये हो गई थी। लेकिन 2011 में बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 14 बैंकों के कंसोर्टियम की ओर कंपनी के कर्ज सुविधा की सीमा बढ़ाकर 4,061 करोड़ कर दिया गया। समस्या तब हुई जब जनवरी 2018 से लिए गए कर्ज की अदायगी रुक गई और धीरे-धीरे 3592 करोड़ रुपये का कर्ज एनपीए बन गया। कंपनी ने व्यापार में घाटे का बहाना बनाकर कर्ज से पल्ला झाड़ लिया।

सीबीआइ के अनुसार बैंकों के कंसोर्टियम को कंपनी के निदेशकों पर संदेह हुआ और फ्रॉस्ट इंटरनेशनल के खातों का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का फैसला किया गया। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि फॉरेंसिक आडिट में कंपनी का पूरा फर्जीवाड़ा खुलकर सामने आ गया। इसके अनुसार कंपनी के निदेशकों ने अपनी ही दूसरी कंपनियों के साथ लेन-देन दिखा रखे थे। इन कंपनियों ने आपस में 9822 करोड़ रुपये की खरीद और 9889 करोड़ रुपये की बिक्री दिखाई थी, जो सचमुच में हुई ही नहीं थी। यही नहीं, बैंक से मिली कर्ज सुविधा का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने दूसरी सहयोगी कंपनियों में फर्जी कागजात के सहारे सैंकड़ों रुपये ट्रांसफर कर लिए और उससे निजी संपत्तियां खरीद लीं।

आठ साल में बैंकों से लिया तीन हजार करोड़ रुपये का लोन पेज>>6

सख्त रुख

सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर जज की अगुआई में स्वतंत्र प्रणाली बनाने का दिया सुझाव, मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष को चार हफ्ते में विधायक की अयोग्यता पर फैसला लेने को कहा

स्पीकर के अधिकार पर संसद करे विचार : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसियां : सुप्रीम कोर्ट ने संसद से जनप्रतिनिधियों को अयोग्य घोषित करने के स्पीकर के अधिकार पर पुनर्विचार कर संविधान में संशोधन करने की अपील की है। साथ ही रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र ट्रिब्यूनल बनाने का सुझाव दिया है। सर्वोच्च अदालत ने यह सुझाव एक याचिका के आधार पर दिया जिसमें लोकसभा या विधानसभा अध्यक्ष के भी एक राजनीतिक दल का होने की बात कहकर उसके निष्पक्ष होने पर सवाल उठाए गए हैं। सर्वोच्च अदालत ने सांसदों या विधायकों को अयोग्यता की याचिका से निपटने के लिए 'एक स्वतंत्र प्रणाली' बनाने का सुझाव भी दिया है।

जस्टिस रोहिंटन फली नरिमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मंगलवार को कहा कि सांसदों या विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे पर निष्पक्ष फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज या हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्थाई ट्रिब्यूनल बनाया जाए या फिर कोई अन्य प्रणाली विकसित की जाए।

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

कोर्ट ने कहा कि संसद को संविधान में संशोधन करकेलोकसभा या विधानसभाओं में एक वैकल्पिक स्पीकर की व्यवस्था करनी चाहिए। सांसदों या विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे पर वह बतौर मध्यस्थ नियुक्त हो।

खंडपीठ के समक्ष यह मामला पेश हुआ जिसमें सर्वोच्च अदालत ने मणिपुर के वन व पर्यावरण मंत्री टी. श्यामकुमार को अयोग्य घोषित करने को लेकर याचिका दायर की गई थी। खंडपीठ ने मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष को श्यामकुमार को अयोग्य घोषित करने पर फैसला चार हफ्ते में लेने को कहा है। खंडपीठ ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष अनिश्चितकाल तक अयोग्य ठहराने वाली याचिका को लंबित नहीं रख सकते हैं।

एक कांग्रेस नेता की दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा कि संसद को इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने संबंधी मामलों में लोकसभा/विधानसभा का अध्यक्ष भी किसी एक राजनीतिक दल का नेता है।

श्यामकुमार हैं पूरे विवाद की जड़ : दरअसल, कांग्रेस नेता श्यामकुमार ने 2017 में मणिपुर विधानसभा चुनावों में आंद्रो सीट जीती थी। चुनाव परिणाम आने पर 28 सीटें जीतकर कांग्रेस अकेली सबसे बड़ी पार्टी बनी। लेकिन 60 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए तीन सीटें कम पड़ गईं। इसके बाद 21 सीटें जीतने वाली दूसरी सबसे बड़ी पार्टी ने अन्य दलों के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया और उनके 30 विधायक हो गए। लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को बहुमत तक पहुंचने के लिए अभी भी एक विधायक कम पड़ रहा था। इसके बाद श्यामकुमार कांग्रेस से इस्तीफा दिए बगैर भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा को एक गठबंधन सरकार बनाने में मदद की।

कर्नाटक का भी उठा था मामला : पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक ऐसा ही सवाल खड़ा हुआ था। लेकिन तब मामला इस्तीफा देने और एक विधायक को अयोग्य ठहराने को लेकर सुलट गया था। कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष केआर रमेश कुमार के 17 बागी कांग्रेस-जदएस विधायकों को दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित करने को सही ठहराया था। बागी विधायकों के इस्तीफा देने के बाद उन्हें अयोग्य घोषित किया गया था। साथ ही उन सीटों पर दोबारा चुनाव कराने का आदेश दिया था। इससे कांग्रेस-जदएस की सरकार गिर गई थी और भाजपा ने उसकी जगह सरकार बनाई।

कांग्रेस ने कहा-शीर्ष अदालत के फैसले का व्यापक असर होगा पेज>>6

10 हजार लोगों से आठ अरब रुपये वसूलेगा आयकर विभाग

राजकुमार श्रीवास्तव, प्रयागराज

- नोटबंदी में दस लाख से ज्यादा बैंकों में जमा करने वाले 'फंसे'
- अपील करने वालों को 20, बाकी को 100 फीसद जमा करना होगा टैक्स

नोटबंदी के दौरान बैंकों में दस लाख या इससे ज्यादा नगदी जमा करने वाले दस हजार लोगों से आयकर विभाग आठ अरब रुपये की वसूली करेगा। इलाहाबाद परिक्षेत्र में 31 दिसंबर तक विभाग ने तीन हजार ऐसे मामले निस्तारित किए थे, जिन्होंने नोटबंदी के दौरान बैंकों में 10 लाख अथवा इससे ज्यादा रकम जमा की थी। मामले में नोटिस जारी होने के बावजूद लोगों ने रिटर्न दाखिल नहीं किया था। इसके अलावा करीब 6700 ऐसे मामले हल किए गए, जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 147 के तहत पुराने प्रकरण और धारा 143 (3) के तहत कंप्यूटर के जरिए चयनित मामले (कालातीत) शामिल हैं।

इन पर करीब आठ सौ करोड़ (आठ अरब) रुपये की डिमांड निर्धारित कर नोटिस जारी किया गया है। हालांकि, इस वित्तीय वर्ष में कुल डिमांड 1431 करोड़ रुपये की बनी है। इसमें इलाहाबाद क्षेत्र का 370, वाराणसी क्षेत्र का 813 और गोरखपुर क्षेत्र का कुल 248 करोड़ है। अफसर बताते हैं कि नोटिस जारी होने के बाद जिन लोगों ने अपील की है, उन्हें फिलहाल 20 फीसद, शेष को 100 प्रतिशत टैक्स जमा करना होगा। नोटिस जारी होने के 30 दिन में टैक्स न जमा करने पर खाता सीज करने समेत मूर्त और अमूर्त संपत्तियों की नीलामी भी की जा सकती है। मुख्य आयकर आयुक्त डॉ. साधना शंकर का कहना है कि नोटबंदी के दौरान बैंकों में बड़ी रकम जमा करने वाले जिन लोगों ने रिटर्न नहीं दाखिल किया, उन्हें चिह्नित करके नोटिस जारी किया जा चुका है।